

सं० 4285-अस-17/पाकालि/2002-11१११एफ/8० टी. सी. १ दि० 1 अक्टूबर 2००२

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत सेबारा एवं सेवारा
कार्मचारियों/अधिकारियों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित पोरियों की चिकित्सा
व्यय प्रतिपूर्ति की स्वीकृति विषयक वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन सम्बन्धी
आदेश सं० 1815-अस-17/पाकालि/2002 दिनांक 20.5.2002 के अनुक्रम में कारपोरेशन
द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कारपोरेशन की ऐसी इकाई के चिकित्सा
प्रतिपूर्ति प्रकरण जिनका निस्तारण कारपोरेशन के उपर्युक्त आदेश के प्रावधानों के
अन्तर्गत सम्भव नहीं हो पा रहा है, के चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरणों का अधिकतम
एक लाख रुपये तक का निस्तारण मुख्य अभियन्ता/जल विद्युत द्वारा किया जाएगा।
तथा उसके ऊपर के प्रकरणों का निस्तारण अन्य इकाइयों की भाँति पावर
कारपोरेशन द्वारा ही किया जाएगा।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

सं० 4285-1-अस-17/पाकालि/2002 तदोदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा० ऊर्जा मंत्री जी, उ० प्र० शासन के निजी सचिव ।
2. सचिव/ऊर्जा/ उ० प्र० शासन, लखनऊ
3. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता/जलविद्युत/ उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
4. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
5. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जाँच समिति-1 व 11 उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
6. समस्त वारेण्ट कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
7. उपसचिव/का. वि. नी. १ उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
8. कारपोरेशन मुख्यालय के समस्त अधिकारी/अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव,
प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध ।
9. मुख्य चिकित्सा अधिकारी/उ. नि. १ शक्ति भवन, लखनऊ
10. कट फाइल।

आज्ञा से,

रवि प्रकाश मिश्र
कार्मिक अधिकारी